29.6.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट सुखाबावड़ी में पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कालिका की पत्रावली
के भूमि ख.नं. 941 रकबा 4.41 है. भूमि स्थित है जो
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है
प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थी द्वारा 351 व.मी.
भूमि पर निर्माण करना अंकित किया है। नियमानुसार
एक रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में से 500 व.मी.
तक भूमि गैर कृषि कार्य में उपयोग कर सकता है। अतः
निर्माण के कारण भूमि वेस्ट एण्ड डेमेज नहीं होती है
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज
प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण रिसीवर नियुक्त
किया जाना आवश्यक हो। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र आधारहीन
होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी